बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांकः--3 / कृषि बजट विविध–उपयोगिता–19 / 2015 266 कृ0 पटना दिनांकः– 19-01-2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

निदेशक, कृषि / उद्यान / भूमि संरक्षण / पी०पी०एम० / बामेति / बीज प्रमाणन एजेंसी बिहार, पटना / अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / संयुक्त निदेशक (शष्य)–सह– नियंत्रक एवं माप–तौल / संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, पूर्णियाँ / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना / सभी उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण / सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण) / उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना / उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी (मुजफ्फरपुर)–सह–प्राचार्य / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / मुख्य लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम / कृषि उद्योग विकास निगम / नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर / राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा / अवर सचिव राज्य किसान आयोग।

विषयः– **सामंजित डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित सामंजन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **वित्त विभाग का पत्रांकः–10409 दिनांक–16.12.2015 ।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि CTMIS में Ac-Dc/GIA-Uc मोड्यूल के तहत कोषागार से पारित ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्र तबतक लंबित रहता है, जबतक उसका सामंजन नहीं हो जाता है। तथा निर्धारित समय सीमा में सामंजन न होने पर अगला ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्र पारित नहीं हो पाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 से सभी लंबित ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्र CTMIS में लंबित दिख रहा है, स्पष्ट है कि अगला ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्र पारित नहीं हो रहा है, जबकि कार्यालयों द्वारा सामंजन विपत्र महालेखाकार कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है, तथा सामंजन भी हो चुका है।

आपके द्वारा जिन ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्र महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जा चुका है, और जिनका सामंजन भी हो चुका है। उन विपत्रों की सूची / विवरणी महालेखाकार कार्यालय को देकर सम्पुष्टि प्राप्त करते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित कोषागार कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। जिसके आधार पर कोषागार पदाधिकारी द्वारा CTMIS से लंबित विपत्रों की सूची से हटाया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

18/1/16

(रामजी सिंह)

सूचना सरकार के अपर सचिव,

ज्ञापांक— 266 /कृ०, पटना, दिनांक: —19-01-2016

प्रतिलिपि :— सचिव (संसाधन) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई—टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल भेजने हेतु प्रेषित।

(ह०) सरकार के अपर सचिव

20

D:\year -2014\letter\letter 2015.docx51